सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः– 2020/00211 दर्ज तिथिः– 10.02.2020

1. नरेश कुमार उम्र करीब 25 साल पुत्र लीलाराम जाति गुर्जर निवासी लाहा का बास तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

................प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, थानागाजी तह0 थानागाजी जिला–अलवर।

..................अप्रार्थी

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ताः–श्री बनवारी लाल शर्मा।
अप्रार्थी अधिवक्ताः– पैरोकार सरकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136
राजस्थान भू–राजस्व अधि0–1956

–ःनिर्णयः–

निर्णय तिथिः–09.05.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 हाल खसरा नम्बर 186 रकबा 0.10 है0 बरूये खाता संख्या 151, हाल आराजी खसरा संख्या 125 रकबा 0.43 है0 खसरा नम्बर 182 रकबा 0.010 है0 खसरा नम्बर 183 रकबा 0.28 है0 खाता संख्या 52, हाल आराजी खसरा संख्या 42 रकबा 0.[illegible] खाता संख्या 70 तथा हाल खसरा नम्बर 347 रकबा 0.22 है0 खसरा नम्बर 34[illegible] रकबा [illegible]63 है0 खाता संख्या 105 वाके ग्राम लाहा का बास तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान में स्थित दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 वाके ग्राम लाहा का [illegible] तहसील थानागाजी में प्रार्थी के नाम का अंकन नरेश कुमार के स्थान पर छोटू अंकित कर दिया गया है। जबकि प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजों में नरेश कुमार गुर्जर दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:45:47 IST
Reason: SelfAttested

जो राजस्व कर्मचारियों द्वारा अंकन करते समय प्रार्थी का नाम सही दर्ज नहीं किया गया है। राजस्व रिकॉर्ड एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी के नाम में भिन्नता के कारण प्रार्थी के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। अंत में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की उक्तानुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम को राजस्व रिकार्ड में नरेश कुमार गुर्जर पुत्र लीलाराम गुर्जर दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार थानागाजी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की जो कि शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली पर प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दोहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम सही दर्ज नहीं होने के कारण प्रार्थी के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का नाम सही दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

3. मैनें प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि तहसीलदार थानागाजी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का नाम हाल राजस्व रिकॉर्ड में सही दर्ज नहीं है एवं जमाबंदी संवत् 2074–77 वाके ग्राम लाहा का बास तहसील थानागाजी में भी प्रार्थी के नाम का सही अंकन नहीं किया गया है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंदी संवत् 2074–77 वाके ग्राम लाहा का बास तहसील थानागाजी के नवीन खाता संख्या का विवरण निम्न प्रकार है:–

खातेदार का नाम	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा
छोटू पुत्र लीला	77	42	0.22 है0
	57	186	0.10 है0
	58	125	0.43 है0
		182	0.010 है0
		183	0.28 है0
	113	347	0.22 है0
		349	0.63 है0

4. प्रकरण में प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजों में नरेश कुमार गुर्जर पुत्र लीलाराम गुर्जर अंकित है जो कि इस प्रकार है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:45:47 IST
Reason: SelfAttested

दस्तावेज का विवरण	
अंकतालिका कक्षा–10	नरेश कुमार गुर्जर पुत्र लीलाराम गुर्जर
परिवार राशन कार्ड	नरेश कुमार गुर्जर पुत्र लीलाराम गुर्जर
आधार कार्ड	नरेश कुमार गुर्जर पुत्र लीलाराम गुर्जर
मूल निवास प्रमाण–पत्र	नरेश कुमार गुर्जर पुत्र लीलाराम गुर्जर

5. प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि संलग्न पत्रावली है जिसका विवरण इस प्रकार हैः–

> *उक्त प्रकरण में भू–राजस्व अधिनियम की धारा–136 के अंतर्गत जांच करने गांव लाहा का बास में मौके पर पहुंची प्रार्थी नरेश कुमार गुर्जर के परिवार व गांव वालों के अनुसार जमाबंदी में भूल से नरेश कुमार गुर्जर के स्थान की जगह छोटू अंकित हो गया था। नरेश कुमार गुर्जर उर्फ छोटू एक ही आदमी है।*

1. उक्त राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी आराजी में हाल राजस्व रिकॉर्ड में नाम का सही अंकन नहीं है। मुताबिक जमाबंदी संवत् 2074–77 वाके ग्राम लाहा का बास तहसील थानागाजी प्रार्थी की आराजी का विवरण बिन्दु संख्या–3 के अनुसार है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजों में नरेश कुमार गुर्जर पुत्र लीलाराम गुर्जर अंकित है। जो बिंदू संख्या–4 में वर्णित है। अतः प्रार्थी के हाल राजस्व रिकॉर्ड में नाम संबंधी इन्द्राज को मुताबिक तहसीलदार थानागाजी रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात् के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र तहसीलदार थानागाजी रिपोर्ट व अन्य दस्तावेज से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। चूंकि तहसीलदार थानागाजी ने अवगत करवाया है कि प्रार्थी नाम पूर्व में जमाबंदी में दर्ज करते समय भूल के कारण नरेश कुमार गुर्जर के स्थान पर छोटू दर्ज कर दिया है। अतः प्रार्थी के हाल राजस्व रिकॉर्ड में नाम संबंधी इन्द्राज को मुताबिक तहसीलदार थानागाजी रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात् के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

> *प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 तहसीलदार थानागाजी रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात् के आधार पर स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थी की खातेदारी आराजी में नाम* ***छोटू*** *के स्थान पर* ***नरेश*** *का अंकन करने के आदेश तहसीलदार थानागाजी को दिये जाते हैं। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।*

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 09.05.2023 को न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:45:47 IST
Reason: SelfAttested

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)